

राजस्थान राजस्व
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 २१/५

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. ५२२१६
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३८ के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला
 की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१.	जीपाठुडा	३२	रजेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह	रजेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह

(f)
 पीठासीन अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर,

क्रमांक :- २०२६/६१

दिनांक :- २१

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।

(f)
 पीठासीन अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला - राजसमन्त